	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 4, शुक्रवार, शाके 1937–अप्रेल 24, 2015 *Vaisakha 4, Friday, Saka 1937–April 24, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 24, 2015

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में डायन-प्रताड़ना के संत्रास पर काबू पाने के लिए प्रभावी उपाय करने और राज्य में डायन वृत्ति की प्रथा का निवारण करने तथा इससे संसक्त एवं आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "डायन" से ऐसी स्त्री अभिप्रेत है जिसे स्थानीय रूप में "डायन", "डाकन", "डाकिन" या अन्यथा नाम से जाना

जाता हो, जिसकी पहचान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को कोई हानि पहुंचाने वाली स्त्री के रूप में इस विश्वास के साथ की जाये कि वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है अथवा उसके पास कोई बुरी शक्ति है;

(ख) "डायन वृत्ति" से दुराशयपूर्वक आत्मा का आवाहन करने या सम्मोहन करने या चुराये गये माल का पता लगाने के लिए अलौकिक या जादुई शक्ति का उपयोग अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य समान वृत्तियां सम्मिलित हैं, जिन्हें "टोना-टोटका", "तन्त्र-मन्त्र", "जादू-टोना", "झाड़-फूंक" या इसी प्रकार के नामों से जाना जाता हो;

(ग) "डायन-चिकित्सक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्थानीय रूप में "गुनिया", "तांत्रिक", "ओझा" या अन्यथा नाम से जाना जाता हो और जो यह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियंत्रित करने या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है अथवा जो किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के तात्पर्य से कोई अनुष्ठान करता है;

(घ) "डायन-प्रताड़ना" से किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई ऐसा निम्नलिखित कार्य या आचरण अभिप्रेत है,-

(i) किसी स्त्री की डायन के रूप में पहचान करना, दोष लगाना या मानहानि करना;

(ii) ऐसी स्त्री को, चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से, तंग करना, अपहानि करना या उसे क्षति पहुंचाना अथवा उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाना; और

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो क्रमश: उक्त संहिताओं में हैं।

3. डायन-प्रताड़ना और डायन वृत्ति का निषेध.- कोई व्यक्ति डायन-प्रताड़ना कारित नहीं करेगा या डायन वृत्ति का प्रयोग या अभ्यास नहीं करेगा।

4. डायन-प्रताड़ना के लिए दण्ड.- (1) जो कोई भी, उप-धारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, डायन-प्रताड़ना कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी, किसी स्त्री को डायन के रूप में चिह्नित करते हुए उसे कोई भी अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है या उसको नग्न अथवा कम वस्त्रों में या पुते हुए चेहरे या शरीर के साथ प्रदर्शित या प्रस्तुत करता है या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करता है जो मानव गरिमा के प्रति अनादरपूर्ण है या उसे उसके घर अथवा अन्य संपत्ति से बेकब्जा करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

5. डायन वृत्ति के लिए दण्ड.- जो कोई भी डायन वृत्ति या अन्य समान वृत्तियों का प्रयोग किसी व्यक्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचाने के आशय से करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

6. डायन-चिकित्सक के लिए दण्ड.- जो कोई-

(i) यह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियंत्रित करने या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ii) किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से अनुष्ठान करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन

वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्ड्नीय होगा; या

(iii) किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से किसी डायन-चिकित्सक से अनुष्ठान करवाता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

7. डायन-प्रताड़ना से पीड़ित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए दण्ड.- जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से पूर्व उसके साथ डायन-प्रताड़ना की गयी थी तो धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकार डायन-प्रताड़ना के कारित किये जाने में सम्मिलित हो, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

8. सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति.- (1) यदि, विहित रीति से जांच करने के पश्चात्, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने से संबंधित हैं, या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के किये जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और ऐसे जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकेगी जो सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माना देने के दायित्वाधीन हैं और ऐसा प्रभाजन राज्य सरकार वहां के निवासियों की व्यक्तिगत क्षमता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी:

परन्तु किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना तब तक वसूल नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके द्वारा उप-धारा (3) के अधीन फाइल की गई अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की उद्घोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या ऐसी अन्य रीति से की जायेगी, जिसे राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण सूचित करने के लिए उन परिस्थितियों में, सर्वोत्तम समझे।

(3) (क) उप-धारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण से या प्रभाजन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विहित कालावधि के भीतर, राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे वह सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे जुर्माने से छूट पाने के लिए या प्रभाजन के आदेश में परिवर्तन के लिए अर्जी फाइल कर सकेगा:

परन्तु ऐसी अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

(ख) राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्जीदार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन छूट दी गयी या कम की गयी जुर्माने की रकम किसी व्यक्ति से वसूलनीय नहीं होगी और किसी क्षेत्र के निवासियों पर उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कुल जुर्माना उस विस्तार तक कम किया गया समझा जायेगा।

(4) उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के पीड़ित व्यक्तियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में नहीं आता है, उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित सामूहिक जुर्माने से या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने के दायित्व से, छूट दे सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय जुर्माना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन वसूल किये गये जुर्माने के शुद्ध आगमों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों के पुनरुद्धार और पुनर्वास में किया जायेगा।

9. प्रतिकर का आदेश.- जहां धारा 4, 5, 6 और 7 के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय, उपचार की और पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति को भी कारित हानि की किसी लागत, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए पीड़ित व्यक्ति को कारित शारीरिक और मानसिक हानि पर विचार करेगा।

(2) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिरोपित करता है, तब वह न्यायालय, निर्णय देते समय, वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम साठ प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीड़ित को संदत्त किये जाने का आदेश देगा।

10. भारतीय दण्ड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसेकि उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

11. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई.- (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार-बार आते जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है और उसकी राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से ग्रस्त घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार

बनाये रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिसमें उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के निवारण के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करेंगे।

12. राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली निवारक और संरक्षा कार्रवाइयां.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेगी-

(i) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों से पीड़ितों का पुनरुद्धार और पुनर्वास और उन्हें विधिक या चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना;

(ii) अंधविश्वास पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना और बुरी आत्मा, डायन वृत्ति की अर्थहीन धारणाओं के बारे में और ऐसे अन्य मामलों के लिए जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे, लोगों को शिक्षित करना।

13. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

14. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

15. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 24, 2015

No. F. 2 (22) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Dayan Pratadana Nivaran Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PREVENTION OF WITCH-HUNTING ACT, 2015

(Act No. 14 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An
Act

to provide for effective measures to tackle the menace of witch-hunting and to prevent the practice of witch craft in the State of Rajasthan and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Prevention of Witch-hunting Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "witch" means a woman, locally known as "Dayan", "Dakan", "Dakin" or otherwise, who has been identified by any person or persons believing her to be in possession of, or as having, any evil power for causing any harm to any person or property;

(b) "witch craft" means use of supernatural or magical power with evil intention to call up spirit or cast spell or discover the whereabouts of stolen goods and includes such other similar practices which are known as "Tona-Totaka", "Tantra-Mantra", "Jadu-Tona", "Jhad-Phunk" or the like;

(c) "witch doctor" means a person who is locally known as "Gunia", "Ojha", "Tantrik" or otherwise and claims that he has supernatural or magical power to control or cure a witch or performs any ritual purportedly to free a woman from evil spirit;

(d) "witch-hunting" means any act or conduct on the part of any person,-

(i) identifying, accusing or defaming a woman as a witch;

(ii) harassing, harming or injuring such woman whether mentally or physically or by damaging her property; and

(e) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) or the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) shall have the meanings assigned to them respectively in those Codes.

3. Prohibition of witch-hunting and practising witch craft.- No person shall commit witch-hunting or exercise or practise witch craft.

4. Punishment for witch-hunting.- (1) Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits witch-hunting shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees or with both.

(2) Whoever forces a woman, branding her as witch, to drink or eat any inedible substance or any obnoxious substance or parade her naked or with scanty cloths or with painted face or body or commits any similar acts which is derogatory to human dignity or displaces her from her house or other property shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees or with both.

5. Punishment for witch craft.- Whoever practises witch craft or other similar practices with intent to cause harm or injury to any person shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees or with both.

6. Punishment for witch doctor.- Whoever-

(i) claims that he has supernatural or magical power to control or cure a witch shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees or with both;

(ii) performs any ritual purportedly to free a woman from evil spirit shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees or with both;

(iii) causes a witch doctor to perform any ritual purportedly to free a woman from evil spirit shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees or with both.

7. Punishment for unnatural death of a woman subjected to witch-hunting.- Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances and it is proved that soon before her death she was subjected to witch-hunting, notwithstanding anything contained in section 4, every person who involved in the commission of such witch-hunting shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life or with fine which shall not be less than one lakh rupees or with both.

8. Power of State Government to impose collective fine.- (1) If, after an inquiry in the prescribed manner, the State Government is satisfied that the inhabitants of an area are concerned in, or abetting, the commission of, any offence punishable under this Act, or harbouring persons concerned in the commission of such offence or failing to render all the assistance in their power to discover or apprehend the offender or offenders or suppressing material evidence of the commission of such offence, the State Government may, by notification in the Official

Gazette, impose a collective fine on such inhabitants and apportion such fine amongst the inhabitants who are liable collectively to pay it, and such apportionment shall be made according to the State Government's judgment of the respective means of such inhabitants:

Provided that the fine apportioned to an inhabitant shall not be realized until the petition, if any, filed by him under sub-section (3) is disposed of.

(2) The notification made under sub-section (1) shall be proclaimed in the area by beat of drum or in such other manner as the State Government may think best in the circumstances to bring the imposition of the collective fine to the notice of the inhabitants of the said area.

(3) (a) Any person aggrieved by the imposition of the collective fine under sub-section (1) or by the order of apportionment, may, within the prescribed period, file a petition before the State Government or such other authority as the State Government may specify in this behalf for being exempted from such fine or for modification of the order of apportionment:

Provided that no fee shall be charged for filing such petition.

(b) The State Government or the authority specified by it shall, after giving to the petitioner a reasonable opportunity of being heard, pass such order as it may think fit:

Provided that the amount of the fine exempted or reduced under this section shall not be realizable from any person, and the total fine imposed on the inhabitants of an area under sub-section (1) shall be deemed to have been reduced to that extent.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the State Government may exempt the victims of any offence punishable under this Act or any person who does not, in its opinion, fall within the category of persons specified in sub-section (1), from the liability to pay the collective fine imposed under sub-section (1) or any portion thereof.

(5) The fine payable by any person under this section shall be recovered as an arrear of land revenue.

(6) The net proceeds of the fine realized under this section shall be utilized in the rehabilitation and resettlement of the victims of offences punishable under this Act.

9. Order for compensation.- (1) Where a sentence of fine is imposed under sections 4, 5, 6 and 7, the Court shall, in fixing the amount of fine, take into consideration the physical and mental damage caused to the victim including any cost of treatment and also the damage, if any, caused to the property of the victim.

(2) When a Court imposes sentence of fine, the Court shall, while passing judgment, order at least sixty per cent of the fine recovered to be paid as compensation to the victim.

10. Application of certain provisions of the Indian Penal Code.- Subject to the other provisions of this Act, the provisions of section 34, Chapter III, Chapter IV, Chapter V, Chapter VA, section 149 and Chapter XXIII of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), shall, so far as may be, apply for the purposes of this Act as they apply for the purposes of the said Code.

11. Preventive action to be taken by the law and order machinery.- (1) A District Magistrate or a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate or any police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police may, on receiving information and after such inquiry as he may think necessary, has reason to believe that a person or a group of persons residing in or frequenting any place within the local limits of his jurisdiction is likely to commit an offence under this Act and is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding, declare such an area to be an area prone to offences punishable under this Act and take necessary action for keeping the peace and good behaviour and maintenance of public order and tranquility and may take preventive action.

(2) The provisions of Chapters VIII, X and XI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall, so far as may be, apply for the purposes of sub-section (1).

(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make one or more schemes specifying the manner in which the officers referred to in sub-section (1) shall take appropriate action specified in such scheme or schemes to prevent offences punishable under this Act.

12. Preventive and protective actions to be taken by the State Government.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, make one or more scheme or schemes for-

(i) rehabilitation and resettlement of, and for providing legal or medical aid to, the victims of offences punishable under this Act;

(ii) to conduct awareness programme on blind belief and educate people about the absurd concept of evil spirit, witch craft and for such other matters as the State Government may deem proper.

13. Act not in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

14. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer or authority thereof or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

15. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following, the

House of the State Legislature makes any modification in any such rule or resolves that any such rule should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

15
Government Central Press, Jaipur.